:आदेश:

शासनादेश संख्या–371 / XVIII-B-1/2024-12(5)/2023 दिनांक 23.04.2024एवं शासनादेश संख्या–692 / XVIII-B-1/2024-12(4)/2024 दिनांक 18.06.2024 से राज्य आपदा मोचन निधि अन्तर्गत (Recovery And Reconstruction) मद में से प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त खण्ड विकास कनालीछीना की 02 कार्ययोजनाओं के मरम्मत कार्य हेतु ₹ 1.85 लाख (₹ एक लाख पिचासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नानुसार अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क. सं.	तहसील / खण्ड विकास / ग्राम नाम / स्थान का नाम	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	आंगणन की धनराशि ₹ लाख में	मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि ₹ लाख में
1	2	3	4	5	6
1.	देवलथल / कनालीछीना / गुसगल	ग्राम में गुसगल में क्षतिग्रस्त सी0सी0 मार्ग।	खण्ड विकास कनालीछीना	1.50	0.90
2.	देवलथल / कनालीछीना / बादुला	प्रा0वि0 से गांव को जोड़ने वाला सी0सी0 मार्ग मरम्मत कार्य।	खण्ड विकास कनालीछीना	1.79	0.95
		योग		3.29	1.85

आहरण वितरण अधिकारी, जिला कार्यालय,पिथौरागढ़ उक्त स्वीकृत कुल ₹ 1.85 लाख (₹ एक लाख पिचासी हजार मात्र) की धनराशि को शाखा प्रबन्धक,आई.सी.आई.सी.आई.बैंक, शाखा पिथौरागढ DISTRICT NATURAL CALAMITY FUND PITHORAGARH के नाम से संचालित खाता सं0–158901000803 से आहरित करने उपरान्त संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, खण्ड विकास कनालीछीना को उपलब्ध कराई गई धनराशि के क्षतिग्रस्त कार्यों के समय के फोटोग्राफ,मरम्मत कार्य पूर्ण होने के फोटोग्राफ एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र 45 दिन में कार्य पूर्ण कर प्रत्येक दशा में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की संस्तुति के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। कार्यदायी संस्था द्वारा आपदा से क्षतिग्रस्त उक्त योजना को GEO Tagging से कराया जाना अनिवार्य होगा।

1– आंगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग को अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।

2– कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करेंगें ।

3– कार्य कराने से पूर्व संबंधित कार्यदायी संस्था स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग जनहित में आपदा प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की सहायता हेतु प्रभावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है ।

4– कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आंगणन / मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ले। बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय। जिन आंगणनों में स्लिप लिया गया इंगित अवश्य कराये जाय तथा इसका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता स्वयं करें।

Scanned with OKEN Scanner

5– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आगणित/स्वीकृत की गई है,व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरे मद में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था/निर्माण इकाई का होगा।

6– संबंधित कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य इसी वर्ष दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। स्वीकृत धनराशि नवं निर्माण कार्यों में कदापित व्यय नहीं की जायेगी। कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त मरम्मत कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय मद में कोई धनराशि स्वीकृत नही की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2024–25 में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक/विभागीय परिसम्पत्तियों पर ही आपके द्वारा प्रस्तुत आगणनों का तकनीकी परीक्षण उपरान्त आकलित धनराशि के अनुसार ही खर्च की जायेगी। ध्यान रखें कि सामान्य मरम्मत के कार्य दैवी आपदा की परिधि मे नहीं आते है। अतः स्वीकृत की जा रही सामान्य मरम्मत के कार्यो, नवनिर्माण कार्यो तथा विकास कार्यो में किसी भी दशा में व्यय न करें ।

8– दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अनियमित्ता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में जांच कर धनराशि के दुरूपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरूद्व प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ0आई0आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

9– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था एवं निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगें ।

10– कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेगें एवं लागत में कोई पुनरीक्षण अनुनन्य नहीं होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टेण्डर आदि विषयक नियमों का पूर्ण अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

11– इस मद से कराये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व के तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफ आवश्यक रूप से रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखे जाय। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का परीक्षण संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार ही संबंधित कार्य दायी संस्था को भुगतान किया जायेगा । कार्य पूर्ण होने पर इस मद से निर्मित कार्य योजना का नाम लागत दिनांक तथा मद का नाम सिमेन्ट कंकरीट एवं बोर्ड पर अंकित कर दिया जायेगा। कार्य का सत्यापन उप जिलाधिकारियों से कराया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ तथा सत्यापन आख्या यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा।

12– उपरोक्त निर्देशानुसार धनराशि आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आंगणन/तकनीकी परीक्षण उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों, समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों/प्रकिया का अनुपालन न होने पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप स उत्तरादायी रहेंगे।

13– **खण्ड विकास कनालीछीना** द्वारा नियमानुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने उपरान्त प्रपत्र–1, प्रपत्र–2, एवं प्रपत्र–3 में सूचना जिला कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। निर्धारित की गई 45 दिन की अवधि के अन्दर औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने पर कार्यदायी संस्था के विरूद्व होने वाली कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।

14– कार्यदायी संस्था को कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य के मध्य, कार्य पूर्ण होने के पृथक–पृथक फोटोग्राफ उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

15— संबंधित कार्यदायी संस्था सभी अभिलेख सम्परीक्षा हेतु अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। जिला कार्यालय के दैवी आपदा अनुभाग में महालेखाकार/राजस्व परिषद द्वारा सम्परीक्षा किये जाने पर अभिलेखों को सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
दिनांक 04.12.2024

ह0/—
(विनोद गोस्वामी)
जिलाधिकारी,पिथौरागढ

कार्यालय जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, पिथौरागढ़।
संख्या—312/तेरह—एस0डी0आर0एफ0/2024—25 दिनांक 04.12.2024

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— उप जिलाधिकारी, डीडीहाट।
4— खण्ड विकास कनालीछीना।
5— अर्थ एवं सांख्याधिकारी, पिथौरागढ़ ।

प्रभारी अधिकारी (दैवीय आपदा)
कृते जिलाधिकारी, पिथौरागढ।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकरी, कनालीछीना ।

पत्रांक 120/ /रा0आ0मो0नि0/प्राकलंन/2024—2025 / दिनांक 20-12-2024

आकाश नौटियाल,
कनिष्ठ अभियन्ता (ग्रा.नि.वि.)
विकास खण्ड कनालीछीना

कृपया उपरोक्ततानुसार योजनाओ के प्रांकलन शीघ्र तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ताकि ससमय कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

खण्ड विकास अधिकारी,
कनालीछीना।

175 | SDRF (Recovery And ...
Scanned with CamScanner